

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त नैनेष यादव के गैंग के चार सदस्यों को किया गया सूचीबद्ध

आज दिनांक- 21.07.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अभियुक्त नैनेष यादव उर्फ लालू पुत्र सेचन यादव सा0 सरकी थाना केराकत जौनपुर जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकशु लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (आपराधिक गैंग) किया गया है। यह गैंग "नैनेष" गैंग के नाम से जाना जायेगा। इसका कोड नं0- "डी- 95" होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. शैलेश यादव पुत्र छोटेलाल यादव उर्फ हीरालाल यादव सापतौरा थाना केराकत जनपद जौनपुर। 0
2. प्रमोद यादव पुत्र साहेब लाल यादव सासरकी थाना केराकत जनपद जौनपुर। 0
3. निलेश कुमार पुत्र रामचन्द्र साकुसैला थाना केराकत जनपद जौनपुर। 0
4. अजीत यादव पुत्र जियालाल यादव साऐकौनी थाना केराकत जनपद जौनपुर। 0

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त एकलाख के गैंग के तीन सदस्यों को किया गया सूचीबद्ध

आज दिनांक- 21.07.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अभियुक्त एकलाख पुत्र स्व0 सज्जाद सा0 कटौली खुर्द थाना देवगांव आजमगढ़ जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकशु लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (आपराधिक गैंग) किया गया है। यह गैंग "एकलाख" गैंग के नाम से जाना जायेगा। इसका कोड नं0- "डी- 96" होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. सद्दाम पुत्र एकलाख साचिउटही थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़। 0
2. वाजिद पुत्र एकलाख सा कटौली 0खुर्द थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ (हाल पता कटौली कला)
3. शाकिब पुत्र एकलाख साथाना देवगांव जनपद आजमगढ़ (हाल पता कटौली कला) कटौली खुर्द 0

थाना रानी की सराय

थाना स्थानीय का टाप टेन व हिस्ट्रीशीट अपराधी त्रिलोकी नाथ यादव लूट की योजना बनाते हुए अपने 02 साथियों के साथ गिरफ्तार, अवैध

असलहा बरामद

प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के कुशल नेतृत्व में उ0नि 0अजय प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि 0उमेश चन्द, कां 0ओमप्रकाश गौड़ , कां 0शशिभूषण, कां0 सुनील कुमार यादव, कां 0राकेश गौड़ वास्ते देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन रात्रिगश्त में मामूर थे कि चकखैरुल्लाह तिराहे पर सुनसान जगह पर कुछ बदमाश लूट की योजना बनाने के लिए इकट्ठे होने की सूचना प्राप्त हुई कि उक्त सूचना पर विश्वास करके अलग अलग दो टीम बनाकर पैदल पैदल चलकर चकखैरुल्लाह तिराहे की ओर बढ़े।

चकखैरुल्लाह तिराहे के पास बाये साइड में सुनसान जगह पर एक टाटा मैजिक UP50AT 5414खड़ी मिली जिसके बाये तरफ आड़ में कुछ लोगो की आवाज आ रही थी। मैजिक वाहन के पास पहुँचकर आवाज सुनने का प्रयास किया गया तो मौके पर मौजूद व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे उनमे से एक ने कहा कि रात अधिक हो गयी है यही किसी गाड़ी को रोककर ड्राइवर से लूट कर लिया जाए।

दोनों पुलिस टीम द्वारा एकाएक उन्हे घेरकर टार्च की रोशनी डाली गयी तो कुछ लोग हड़बड़ा कर भागने का प्रयास करने लगे। जिन्हे घेरकर पकड़ने का प्रयास किया गया मौके पर तीन व्यक्ति पकड़ लिये गये। शेष चार व्यक्ति अन्धेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गये।

पकड़े गये व्यक्तियों से बारी बारी नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो तीनों अभियुक्तों ने अपना नाम क्रमशः 1. त्रिलोकी नाथ यादव पुत्र फिरतू यादव निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, 2. सूरज कुमार पुत्र फौजदार ग्राम खलिलाबाद थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, 3. यशवन्त कुमार पुत्र विष्णु ग्राम सैफपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बताया।

तीनों की जामा तलाशी से एक अदद तमन्चा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर , एक लम्बा पेचकस , एक प्लास ,गाड़ियों की चाभी का गुच्छा बरामद हुआ। बरामद मैजिक के कागजात मांगे गये तो दिखाने से कासिर रहा मैजिक के पीछे नम्बर प्लेट नहीं लगी है केवल आगे नम्बर प्लेट लगी है जिसपर UP50AT5414 अंकित है। उक्त मैजिक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नम्बर को ई-चालान एप के माध्यम से चेक किया गया तो उक्त रजिस्ट्रेशन न 0किसी अन्य टाटा मैजिक का है। सख्ती से पूछने पर गाड़ी का सही रजिस्ट्रेशन नम्बर UP50AT7574 बताया। जिसे ई-चालान ऐप से चेक किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त गाड़ी अभियुक्त यशवन्त के पिता विष्णु पुत्र फौजदार के नाम से है।

मौके से भागे व्यक्तियों के बारे में पूछने पर 1. अनिल यादव पुत्र सूरज यादव ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व 2.विशाल यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व 3. रितेश यादव पुत्र अज्ञात ग्राम रूदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व 4.सत्यम यादव पुत्र अज्ञात ग्राम खैरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बताया। टाटा मैजिक की तलाशी ली गयी तो मैजिक के डाले में लोहे की राड तथा चार बांस के डण्डे बरामद हुए।

पकड़े गये अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गयी तो बताये कि हमलोगो की 7 , 8लोगो की गैंग है जो देर रात में इसी मैजिक से निकलते है तथा सुनसान जगह पर खड़े होकर इन्तजार करते है जैसे ही कोई वाहन आता है उसे रोककर चालक को तमन्चा व लाठी डण्डा दिखाकर लूट लेते है। सुनसान जगह पर खड़े वाहन के केविन को पेचकस व तार व प्लास की मदद से खोलकर लूटपाट कर लेते है। तथा सुनसान जगह पर बने मकान की तलाश कर जब उस मकान में कोई नहीं रहता है तो ताला तोड़कर उस मकान से हमलोग लूटपाट कर लेते है।

अभियुक्त त्रिलोकी नाथ यादव पुत्र फिरतू यादव निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को उसका जुर्म धारा 399/402/420/467/468/ 471भा0द0वि 0व3 / 25शस्त्र अधि 0व अभियुक्तों2 . सूरज कुमार पुत्र फौजदार ग्राम खलिलाबाद थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़3 . यशवन्त कुमार पुत्र विष्णु ग्राम सैफपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को जुर्म धारा399 /402/420/467/468/ 471भा0द0वि 0 बताकर समय करीब02 . 55बजे दिनांक21 .07. 2022को हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का स्थान – चकखैरुल्लाह तिराहा थाना रानी की सराय, आजमगढ़ दिनांक 21.7.22 समय 02.55 बजे

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 230/2022 धारा 399/402/420/467/468/471 भा0द0वि0

2- मु0अ0सं0 231/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त त्रिलोकी नाथ यादव पुत्र फिरतू यादव निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ HS NO. 06A

1. मु0अ0सं 627/07 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी , आजमगढ़

2. मु0अ0सं 590/11 धारा 147/148/307/384/427/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना रानी की सराय, आजमगढ़

3. मु0अ0सं 356/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय, आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 355/12 धारा 307 भादवि थाना रानी की सराय, आजमगढ़

5. मु0अ0सं 560/12 धारा 2, 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना गंभीरपुर , आजमगढ़

6. मु0अ0सं 258/12 धारा 302 भादवि थाना गंभीरपुर , आजमगढ़

7. मु0अ0सं 85/15 धारा 147/323/406/506 भादवि थाना रानी की सराय, आजमगढ़

8. मु0अ0सं 239/19 धारा 341/504/506 भादवि थाना कोतवाली , आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. त्रिलोकी नाथ यादव पुत्र फिरतू यादव निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़,

2. सूरज कुमार पुत्र फौजदार ग्राम खलिलाबाद थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़,

3. यशवन्त कुमार पुत्र विष्णु ग्राम सैफपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्त:-

1. अनिल यादव पुत्र सूरज यादव ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

2. विशाल यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

3. रितेश यादव पुत्र अज्ञात ग्राम रूदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

4. मंजीत यादव पुत्र अज्ञात ग्राम खैरपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

01 अदद तमन्वा देशी 315 बोरे व 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोरे मय एक अदद पेचकस, एक अदद प्लास, एक अदद लोहे की राड व चाभी का गुच्छा व 4 अदद डण्डे तथा एक अदद मैजिक गाड़ी नं0- UP50AT5414

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अजय प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री उमेश चन्द, कां0 ओमप्रकाश गौड़ , कां0 शशिभूषण, कां0 सुनील कुमार यादव, कां0 राकेश गौड़

थाना अतरौलिया

01 वांछित चोर गिरफ्तार, 24,500 रूपये व एक जोड़ी पायल बरामद

अभियुक्त राज पुत्र इलियास निवासी कसाई टोला (अब्दुल कलाम नगर) वार्ड न 16 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा क्रमशः दिनांक 19.07.2022 की शाम 05.17 बजे वादी अजीज पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी भोराजपुर कला थाना अतरौलिया आजमगढ़ के मोटर पार्ट की दुकान के काउण्टर से पर्स में रखा 12,000 रू0 और कुछ जरूरी कागजात चोरी किया गया था तथा दिनांक 20.07.2022 की रात वादी साकिब पुत्र अहमद अली उर्फ मदी निवासी जोलह टोलिया वार्ड न0 11 कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के घर से नगद रूपये व गहने चोरी किया गया था।

आज दिनांक 21-7-22 को उ0नि0 शैलेश कुमार यादव, उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक, का0 सर्वेश यादव, का0 मुन्दन कुमार के द्वारा अभियुक्त राज उर्फ शाहे आलम पुत्र इलियास निवासी कसाई टोला थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ को अतरौलिया बस स्टैण्ड से 24500 रूपये व एक जोड़ी पायल सफेद धातु के साथ समय करीब 12.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 248/22 धारा 380 IPC

2. मु0अ0सं0 250/22 धारा 380,457 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राज उर्फ शाहे आलम पुत्र इलियास निवासी कसाई टोला थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़

बरामदगी –

24500 रूपया व एक जोड़ी पायल सफेद धातु

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 शैलेश कुमार यादव

2. उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक,

3. का0 सर्वेश यादव,

4. का0 मुन्दन कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19.03.2022 को अभियुक्त विक्की चौहान पुत्र मुन्ना चौहान सा0 नन्दगंजहरखौली थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर द्वारा वादी की नाबालिक बहन उम्र 16 वर्ष को बहला- फुसलाकर भगा ले जाना जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/22 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया।

उ0नि0 सुभाष तिवारी मय का0जंगबहादुर पटेल व हमराह का0 संजय व का0 अजय कुमार म0का0 पूनम तिवारी के द्वारा अभियुक्त विक्की चौहान पुत्र मुन्ना चौहान सा0 नन्दगंजहरखौली थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर को समय करीब 12.10 बजे शेरॉ पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 90/22 धारा 363/366 भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विक्की चौहान पुत्र मुन्ना चौहान सा0 नन्दगंजहरखौली थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सुभाष तिवारी मय का0जंगबहादुर पटेल व हमराह का0 संजय व का0 अजय कुमार म0का0 पूनम तिवारी

थाना- महाराजगंज

धारा 308 में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दि0 21.07.22 को उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह का0 अरविन्द यादव व का0 कलामुद्दीन अंसारी के द्वारा मु0अ0सं0 169/22 धारा 147, 323, 325, 504, 506, 308 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अनिल पुत्र फूलचन निवासी गोपालपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को सरदहा बाजार तिराहे से समय करीब 08.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 169/22 धारा 147, 323, 325, 504, 506, 308 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

अनिल पुत्र फूलचन निवासी गोपालपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह का0 अरविन्द यादव व का0 कलामुद्दीन अंसारी